# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
# छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
# श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 09 / 2018 दिनांक 28.09.2018

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5052
Date 05 NOV 2018
AGM
SE
EE website
Section

श्री पल्ले ताम्रकार
दुर्गा मेडिकोज, तमेरपारा
दुर्ग (छ.ग.)

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

6/11/18

–:: आदेश ::–

(दिनांक 26.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 09 / 2018 दिनांक 28.09.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से वर्ष 2010 में कंपनी विधि विभाग में नियुक्त सहायक प्रबंधक के संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी :–

(1) B.O.D. के निर्णय की प्रति, विज्ञापन की प्रति, भर्ती की प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज, आरक्षण नियमों के पालन संबंधी दस्तोवज।
(2) कंपनी विधि विभाग की समाप्ति / बंद / विलय संबंधी B.O.D. की निर्णय एवं विधि।
(3) बिंदु क्रमांक 02 के अनुसार विलय करने में कंपनी में प्रचलित, वरिष्ठता निर्धारण नियम के विपरीत पूर्व पद पर नियुक्त तिथि से वरिष्ठता प्रदान करे।
(4) उपरोक्त नये विभाग निर्धारण / विलय करने हेतु सहायक प्रबंधकों से प्राप्त विकल्प पत्र की प्रति।
(5) M.B.A. (Marketing) को HR/Finance में एवं M.B.A. (Finance) को HR में पदस्थ करने का B.O.D. का निर्णय व आधार प्रदान करें।

उक्त जानकारी के संदर्भ में आज दिनांक 25.09.2018 तक कोई भी सूचना प्राप्त नही हुई है, अतः नियमानुसार वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने बाबत् अपील प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–09/2018/25 दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 26.10.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री ताम्रकार को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। जिसकी सूचना दूरभाष के द्वारा भी दी गई। उक्त निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव अपील तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नही है। अतः गुण दोष के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी 08 पृष्ठों में एकत्रित कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2318 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 08 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 16/–मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने बाबत् उनके द्वारा दिये गये पते पर सूचित किया गया।" किन्तु आवेदक द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त किये बगैर ही इस कथन के साथ प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है कि **'उन्हे आज दिनांक तक कोई सूचना प्राप्त नही हुई है, जो तर्कहीन है।**

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील के निराकरण में पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि मूल आवेदन में वांछित जानकारी के संदर्भ में आज दिनांक तक कोई भी सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः नियमानुसार जानकारी निःशुल्क प्रदान करें।

(iii) उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज के संबंध में उल्लेखित कंडिका 04/टीप के अनुसार आवेदक को उनके द्वारा दिये गये पते पर नियमानुसार निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु उनके द्वारा अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये बगैर ही सीधे अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार योग्य नही है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह विधिसंगत परिलक्षित होती है। क्योंकि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी के तारतम्य में धारा 7 (1) के

अंतर्गत निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने बाबत् उन्हे उनके द्वारा दिये गये पते पर सूचित किया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने का लेख किया गया है, जो विधि संगत नहीं है। प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी चाहे तो जनसूचंना अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर उक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत परिणामतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 09/2018 दिनांक 28.09.2018) अस्वीकार कर एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

**(एम.जेड.रहमान)**
**अपीलीय अधिकारी**
**सह महाप्रबंधक (मा0सं0)**
**छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर**
**दूरभाष कमांक –0771–2574700**

EITC

**क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –09/2018/36** **रायपुर, दिनांक 26/10/2018**

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्री पल्ले ताम्रकार, दुर्गा मेडिकोज, तमेर पारा, दुर्ग (छ.ग.)** को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

**पताः– सचिव,**
**छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग**
**सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर**
**जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002**
**दूरभाष–0771–2512106,2512108**

**(एम.जेड.रहमान)**
**अपीलीय अधिकारी**
**सह महाप्रबंधक (मा0सं0)**
**छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर**
**दूरभाष कमांक –0771–2574700**